सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: **NCST/DEV-1563/MH/64/2023-RO-BH** दिनांक: **20.07.2026**

कलेक्टर एवं जिलाधिकारी,
जिला-चंद्रपुर,
कलेक्टर कार्यालय,
चंद्रपुर-442401, महाराष्ट्र,
ई-मेल: collector.chandrapur@maharashtra.gov.in

विषय: श्री धीरज सेडमाके, अध्यक्ष, आदिवासी अन्याय अत्याचार निवारण समिति चंद्रपूर, लिंगो सदन, छत्रपती नगर, दे.गो. तुकूम वार्ड-2 चन्द्रपूर - चन्द्रपूर जिले के राजुरा, कोरपना, जिवती और गोंडपिपरी तहसील के पेसा क्षेत्रों में वन अधिकार अधिनियम के तहत अनुसूचित जनजाति के लोगों को अधिकार पत्र प्रदान करने के सम्बंध में प्राप्त अभ्यावेदन।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर **दिनांक 15.06.2026 को** आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आहूत सिटिंग का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त सिटिंग का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

2. आपसे अनुरोध है की सिटिंग में लिए गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर कार्रवाई करते हुए कार्रवाई रिपोर्ट इस आयोग को **पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर** भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्न: यथोपरि.

भवदीय

पूर्णेन्दु कान्त

(पूर्णेन्दु कान्त/Purnendu Kant)
निदेशक/Director

प्रतिलिपि प्रेषित:

श्री धीरज सेडमाके,
अध्यक्ष,
आदिवासी अन्यांय अत्याचार निवारण समिति चंद्रपूर,
लिंगो सदन, छत्रपती नगर, दे.गो. तुकूम वार्ड-2,
चंद्रपुर (महाराष्ट्र)

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

पत्रावली संख्या / File No.: NCST/DEV-1563/MH/64/2023-RO-BH
अनुसंधान इकाई : अनुसंधान इकाई-I

श्री धीरज सेडमाके, अध्यक्ष, आदिवासी अन्याय अत्याचार निवारण समिति चंद्रपूर, लिंगो सदन, छत्रपती नगर, दे.गो. तुकूम वार्ड-2 चन्द्रपूर - चन्द्रपूर जिले के राजुरा, कोरपना, जिवती, गोंडपिपरी, तहसील में पेसा अधिनियम के तहत अनुसूचित जनजाति के लोगों को पट्टा प्रदान करने के सम्बंध में प्राप्त अभ्यावेदन पर दिनांक 15.06.2026 को माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न सिटिंग/सुनवाई का कार्यवृत्त।

1. सिटिंग/सुनवाई की तिथि एवं अध्यक्षता:

दिनांक : 15.06.2026
अध्यक्षता : माननीय अध्यक्ष महोदय

2. सिटिंग/सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी: अनुलग्नक-I के अनुसार।

3. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण:

आयोग को श्री धीरज सेडमाके द्वारा एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ, जिसमें अवगत कराया गया कि चंद्रपुर जिले की राजुरा, कोरपना, जिवती एवं गोंडपिपरी तहसीलें पेसा क्षेत्र में आती हैं तथा इन क्षेत्रों के आदिवासी परिवार पीढ़ियों से भूमि पर खेती करते आ रहे हैं, किन्तु उन्हें आज तक भूमि के अधिकार अभिलेख एवं पट्टे प्राप्त नहीं हुए हैं। आवेदक ने निवेदन किया है कि पात्र जनजातीय परिवारों को पेसा अधिनियम एवं वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत भूमि अधिकार प्रदान किए जाएं।

4. प्राप्त प्रतिवेदन की स्थिति:

जिला कलेक्टर, चंद्रपुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में अवगत कराया गया कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत राजुरा, कोरपना, जिवती एवं गोंडपिपरी तहसीलों में प्राप्त दावों पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए बड़ी संख्या में पात्र अनुसूचित जनजाति परिवारों को वन अधिकार पट्टे जारी किए गए हैं तथा शेष दावों को विभिन्न कारणों से नामंजूर किया गया है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत रिज्वाइंडर में अवगत कराया गया कि कोरपना तहसील के अंतर्गत आने वाले कुछ गांवों के 46 अनुसूचित जनजाति परिवारों के दावे पर्याप्त दस्तावेजों एवं प्रशासनिक सहयोग के अभाव में अस्वीकृत कर दिए गए हैं। आवेदक ने इन परिवारों के दावों की पुनः समीक्षा कर वन अधिकार पट्टे प्रदान करने का अनुरोध किया है। आयोग द्वारा गठित जांच दल ने स्थल निरीक्षण के उपरांत पाया कि अनेक मामलों में दावों की समुचित जांच किए बिना उन्हें अस्वीकृत किया गया तथा अस्वीकृत दावों की पुनः समीक्षा की आवश्यकता है।

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

5. पिछली सुनवाई के अभिलेख:

प्रकरण में आयोग द्वारा पूर्व में गठित जांच दल ने स्थल निरीक्षण कर यह पाया था कि कई दावों को जीपीएस मिलान अथवा आयु संबंधी कारणों से अस्वीकृत किया गया, जबकि उपलब्ध अभिलेखों एवं भौतिक सत्यापन से कई दावेदार पात्र प्रतीत हुए। जांच दल ने अस्वीकृत दावों की पुनः जांच करने तथा पात्र जनजातीय परिवारों को वन अधिकार प्रदान करने की अनुशंसा की थी।

6. दिनांक 15.06.2026 की सुनवाई में टिप्पणियाँ एवं अवलोकन:

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रकरण की सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर एवं जिलाधिकारी, चंद्रपुर की ओर से श्री बालाजी कदम उपविभागीय अधिकारी उपस्थित हुए तथा विभाग का पक्ष प्रस्तुत किया। अभ्यावेदक अथवा उनकी ओर से कोई प्रतिनिधि सुनवाई में उपस्थित नहीं हुआ। सुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारी द्वारा लिखित प्रतिवेदन दिनांक 11.06.2026 के माध्यम से आयोग को अवगत कराया गया है कि वन अधिकार अधिनियम के तहत पात्र अनुसूचित जनजाति परिवारों को वन अधिकार पट्टे प्रदान किए जा रहे हैं। संबंधित दावेदारों को ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति के माध्यम से दावा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, राजुरा द्वारा सूचित किया गया है। प्रशासन द्वारा संबंधित तहसीलदारों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं तथा दावे प्राप्त होने पर नियमानुसार तत्काल कार्रवाई किए जाने की जानकारी दी गई है।

आयोग ने पाया कि जांच दल द्वारा इंगित की गई विसंगतियों के संबंध में अभी तक संतोषजनक एवं ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। विशेष रूप से अस्वीकृत दावों के पुनर्मूल्यांकन, जीपीएस सत्यापन तथा पात्र जनजातीय परिवारों को वन अधिकार पट्टे प्रदान करने के संबंध में अपेक्षित प्रगति परिलक्षित नहीं हुई है।

7. दिनांक 15.06.2026 की सुनवाई उपरांत आयोग की अनुशंसाएँ:

1. जिला कलेक्टर, चंद्रपुर यह सुनिश्चित करें कि आयोग की पूर्व सुनवाई के दौरान जारी की गई अनुशंसाओं तथा आयोग के जांच दल द्वारा दी गई अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई की विस्तृत अनुपालन (ATR) रिपोर्ट 30 दिवस के भीतर आयोग को प्रस्तुत की जाए।

2. यह अनुशंसा की जाती है कि वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत पूर्व में नामंजूर किए गए दावों की पुनः समीक्षा/पुनः जांच की जाए तथा जिन आवेदकों के दावे पात्रता की शर्तें पूर्ण करते हों, उन्हें नियमानुसार वन अधिकार पट्टे प्रदान किए जाएँ।

3. उपरोक्त संबंध में की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट संबंधित अभिलेखों सहित 30 दिवस के भीतर आयोग को प्रस्तुत की जाए।

(अंतर सिंह आर्य)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

13

अनुसंधान एकक-।

****

फाइल. सं. NCST/DEV-1563/MH/64/2023-RO-BH

दिनांक: 15.06.2026

विषय: श्री धीरज सेडमाके, अध्यक्ष, आदिवासी अन्याय अत्याचार निवारण समिति चंद्रपूर, लिंगो सदन, छत्रपती नगर, दे.गो. तुकूम वार्ड-2 चन्द्रपूर - चन्द्रपूर जिले के राजुरा, कोरपना, जिवती और गोडपिपरी तहसील के पेसा क्षेत्रों में वन अधिकार अधिनियम के तहत अनुसूचित जनजाति के लोगों को अधिकार पत्र प्रदान करने के सम्बंध में प्राप्त अभ्यावेदन के संबंध में आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आयोग मुख्यालय के न्यायालय कक्ष में दिनांक 15.06.2026 को आयोजित सिटिंग/सुनवाई की उपस्थिति।

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1	श्री अंतर सिंह आर्य	माननीय अध्यक्ष	अध्यक्षता	
2	श्री पूर्णेंदु कान्त	निदेशक		
3	श्री शिव प्रकाश	वरिष्ठ अन्वेषक		
4	श्री विवेका नंद शुक्ला	अन्वेषक		

कलेक्टर एवं जिलाधिकारी,
जिला-चंद्रपुर, कलेक्टर कार्यालय, चंद्रपुर-442401, महाराष्ट्र

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1	Balaji Kadam	Sub Divisional Officer Rajura	9096118506	B Kadam
2				
3				
4				

अभ्यावेदक/अभ्यावेदिका

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1				
2				
3				
4				